Lahore 1923 3701-56-48/80

2RS

INDIA

दो रुपये

सत्यमेव जयते

TWO RUPEES भारत TWO RUPEES

28/5/2002

[illegible]

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS

Sumit Kumar

Partner

[illegible]

[illegible]

11200

08/5/02

[illegible]

2 RS

INDIA

दो रुपये

सत्यमेव जयते

TWO RUPEES भारत TWO RUPEES

[illegible]

2/٤

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS

Sumit Kumar

Partner

(1)

[illegible]

2

3/½

[illegible] Comp. by

sd. [illegible] sd. [illegible]

18/7/23 18/7/23

No. 37 of stamp 3/= Admissible ... under the Rule 34 ... stamped under the ... Act 1855 Sch. No. I ... — Fee paid

23 The 17th July 1923

sd. Narayan ...

17. 7. 1923

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS

Sumit Kumar

Partner

[illegible] July 1923 [illegible]

[illegible]

sd/ Narayan [illegible]

17-7-1923

[illegible] The above [illegible]

[illegible] 99 - 6-23

Th No 8242

[illegible] 99 - 6-23

Th No 8243

sd/ Narayan [illegible]

17-7-23

Registered
Book No 1
Vol No 56
pages 48 to 50
being No 574
for year 1923
sd/ Narayan [illegible]
18-7-23

4/6

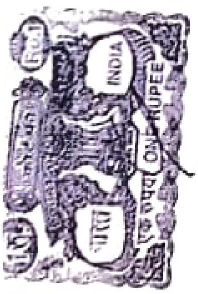

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS

Sumit Kumar
Partner

(3)

Copied by - Read by - Compared by

sd/- [signature] sd/- [signature] sd/- [signature]

18/7/23 18/7/23 18/5/23

Prev - Copied by

sd/- [signature]

Copied by Read by 18/7/23
Compared by

[signature]
281.5/02

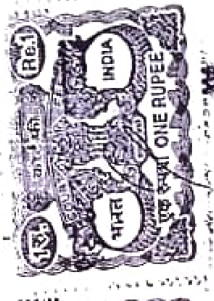

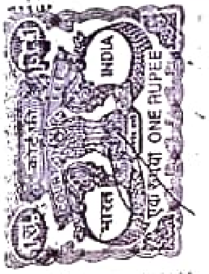

(3) [signature]

01-12-10 — 13-12-10 — 03-1-11 — 05-1-11 — 05-1-11

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS

[signature] Sumit Kumar
Partner

स्टाम्प 3 ०0

वसीका नं0 3701

मनके भगे० महतो वल्द परमानन्द महतो मोतवफा साकिन मक्कदरमन फुलवारी परगना फुलवारी जिला पटना जात कुरमी अवधिया पेशा काश्तकारी एलाके थाना फुलवारी का हूँ । यूँ मनमोकिर को हाजत व जरूरत रुपया के वगर्ज अदाय जरेरेहन वजरीये वसीका मरकुमा तारीख 16 जून 1921 वअदालय मो0 185/- रुपया यापतनी कमल महतो वअदाय देन जो शादी खुद चन्द वर्षों से लेकर वकब्जा व तसर्फ अपने दर लाहक हाल है । इस वास्ते मवाजी 37 डी0 एराजी मजरूआ हकियत काश्त रैयती कायमी वाके मोजा मोईनपुर दीपा परगना फुलवारी जिला पटना के हुदूद अरबा अराजी जैल वसीका हाजा मुन्दर्ज है । अजाँ हकियत काश्त रैयती कायमी अपने को के जो इस वक्त तक हक वो कब्जा मनमोकिर के चला आता है उसको मन जुमला हक हकुक वो हुदूद मराफीक मोतालीकाओं उपर एराजी मजकुर रामलाल महतो के जो चाचा हकीकी हमारे अपने व लावल्द वगास्त किसी औलाद जकुर व अनात के कजा किया तो कुल मतरूका उसका मनमोकिर को वबहुल रिवायत पहूँचता है और मनमोकिर काबिज दाखिल है वो चला आता है । उसको मय जुमला हकुक वो हुदूद वो मराफीक मोतालीका वब्दल मो0 250/- रुपया जरबेसाही के आधा उसका 125/- होता है वदस्त बालगोविन्द महतो मोतवफा वो बंगाली महतो वल्द जुदागी महतो साकिन मौजा चकू दरमन परगना फुलवारी जिला पटना जात ग्वाला पेशा काश्तकारी के रेजा वो रगबत अपने वो वेला जब्र वो दबाव किसी के बसला बकानी किया वो बेचा वो जरेसमन मजकुर मनमोकिर ने वसूल पाया के मो0 185/- रुपया खरीदारान वगर्ज अदाय जरेरेहन आपतनी कमल महतो वजरिये वसीका मरकुमा तारीख 16 जून 19[illegible] खरीदार से लेकर अदाय करके वसीका वापस लेकर खरीदारान को दिया है वमोवल्लि 75/- रुपया कब्ल तहरीर वसीका हाजा के खरीदारान से लेकर [illegible] वकब्ज वा तसर्फ अपने दर लाया है उसको इसतरह कुल जरेसमन खरीदारान से वसूल हो गया ।

1/3

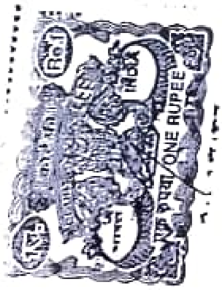

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS

Partner

खरीदारान को बकायम मोकामी अपने उपर लैय मोवर्ईया के काविज वो दाखिल गरदाना चाहिए कैं खरीदारान नाम अपना वसरिस्ता जमिन्दारी के दर्ज करा लेवेगें अब मनमोकिर व वारेसान वो कायममोकामियान उनलोगों के नही है ना रहा ना हां वो खरीदारान ने भी लैय मोवर्ईया को वजरेसम्मन मज्कुर खरीद किया वो जो कुछ हक वो इस्तहकाक के मनमोकिर को वनिस्पत लैय मोवर्ईया के हासिल था आला व दुब अस्अस हक वजिन्संह व वे.ा तफरका खरीदारान को हासिल हुआ व वशर्त जहुर कुदामी वारेकेफालत वो गुक्स हकियत मनमोकिर के खरीदारान महज इसअरल इसार कुल जरेसम्मन मय खेसारा वो तावान के होंगे । इस वास्ते ये वतीका वयला कलामी का लिख दिया कि वक्त पर काम आवे

हद्दद अरबा मवाजी 38 (सैंतीस) डीसमिल अराजी मजरूआ हकियत कास्त रैयती कायमी वाके मौजा मोईन्पुर दीघा परगना फुल्वारी जिला पटना एलाके थाना फुल्वारी सदर रजिस्ट्री पटना तौजी नं0 5256, थाना नं0 2 खाता नं0 467, खेसरा नं0 1716 मोतालिका उसके मालगुजारी मय शेष सालाना

उतर:- जगरनाथ महतो

दक्षिण:- प्रसाद सिंह

पुरब:- मुन्द्रिका महतो

पश्चिम :- डगर

तहरीर तारीख : 17 जुलाई 1922.

2/3

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS

Partner

1985 वसीयतनामा

8343

82

उ॰ॐ भूर्भुवः स्वः

[illegible] 5.10

[illegible handwritten English endorsement] 1985

(उप निबंधक) [illegible] 5.10.85

8/[illegible] 5/10

१.	नाम-मौसिर :	श्री ईश्वर दयाल राय वल्द स्वर्गीय हरिश्चरण राय, साकिन सैनपुरा थाना पाटलिपुत्र जिला पटना पत्रालय ओ॰ पी॰ ओ॰ पटना [illegible] जाति [illegible] पेशा [illegible] -
२.	नाम-मौसिर-अलेह :	श्रीमती [illegible] [illegible] जौजे श्री [illegible]कुमार [illegible] राम जीवन, साकिन सैनपुरा थाना पाटलिपुत्र जिला-पटना पोस्ट ओ॰ पी॰ ओ॰ पटना-१ जाति [illegible] पेशा [illegible] —
३.	[illegible] :	वसीयत [illegible] (Deed of Will)

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS

[signature]

Partner

५ १० १९८५ का १० बजे [illegible] के
[illegible] के सदर निबन्धन कार्यालय [illegible]
[illegible] का [illegible] [illegible] का
[illegible] के [illegible] के लिए
के [illegible]
[illegible] द्वारा प्रस्तुत है।
ईश्वर दयाल राय
[illegible] हरिहर राय
[illegible]
[illegible] गाजीपुर जिला [illegible]
पेशा [illegible]
ने [illegible] के लिए प्रस्तुत किया है।
[illegible] का हस्ताक्षर [illegible]

[illegible] ५.१०.८५

स दी ईश्वर दयाल राय
वा: ध्रुवनारायण मिश्र
सदी ध्रुवनारायण मिश्र
मोकीर निशान मेरे सामने
बनाया ता: ५-१०-८५

निष्पादक श्री / श्रीमती [illegible] ईश्वर दयाल राय
[illegible]
[illegible]
ने लेख का निष्पादन स्वीकार किया है।
जिनकी पहचान श्री [illegible] मिश्र
पिता का नाम श्री [illegible]
[illegible] पेशा [illegible] ने की है। [illegible] मिश्र

स दी ईश्वर दयाल राय वा: ध्रुवनारायण मिश्र
सदी ध्रुवनारायण मिश्र मोकीर
निशान मेरे सामने बनाया ता: ५-१०-८५

[illegible] ५.१०.८५

बाजमुना

हकीकत यह है कि मोकि[illegible] [illegible]
हाजा मनमोकिर के पंचरा भाई [illegible] हैं।
मोकिर अरमेद्य वल्दके हाजा को मनमोकिर [illegible]
नहीं रखेंगा कोई पुत्र या पुत्री खाह [illegible] के [illegible]
साथ अपने रखते चले आते हैं मोकि[illegible] [illegible] वल्दके
हाजा मनमोकिर के तावफत फरमाबुरदारी की खिदमत
गुजारी में हमेशा हाजिर [illegible] रहा करते हैं। इसलिए
मनमोकिर मोकि[illegible] वल्दके हाजा [illegible] रहा
करते हैं वो मनमोकिर को भी आराम [illegible]
पहुंच चुके हैं वो उम्र भी मनमो[illegible]
८२ वर्ष की हो गई है [illegible] मालूम [illegible]
से किस वक्त परवाज [illegible] जाय। [illegible]
[illegible] भी मह दिली ख्वाहिश हुई [illegible]
[illegible] जायदाद सम्पत्ति के [illegible] बारे [illegible]
नामा तहरीर कर [illegible] [illegible]
[illegible] मनमोकिर [illegible] [illegible]
[illegible]

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS

Partner

सही [illegible] द्वारा [illegible] मिश्र

[illegible] दि० ५-१०-८५

१ मह से :

रजिस्ट्री के लि ... [illegible]

गहरी फैलाद मिथ ... [illegible]

२. मह के ... [illegible] ... को काम

रहेंगे ... [illegible] ... उनकी कोई

की तामील ... [illegible] ... + दातुर रहेंगे।

३. मह के ... [illegible] ... मांग +

अपीलेट पहिले ... [illegible]

कि सौगन्ध ... [illegible]

के प्रोविंट ... [illegible]

५. समाप्ति के ... [illegible]

मुस्तकिम हो जावेगा। ...

४. इस वास्ते मह मातहत ... [illegible]

बनाम श्री ... [illegible] ... के

दिया के समय ... [illegible] ... सकार

लहरी तातीज ... [illegible]

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS

Partner

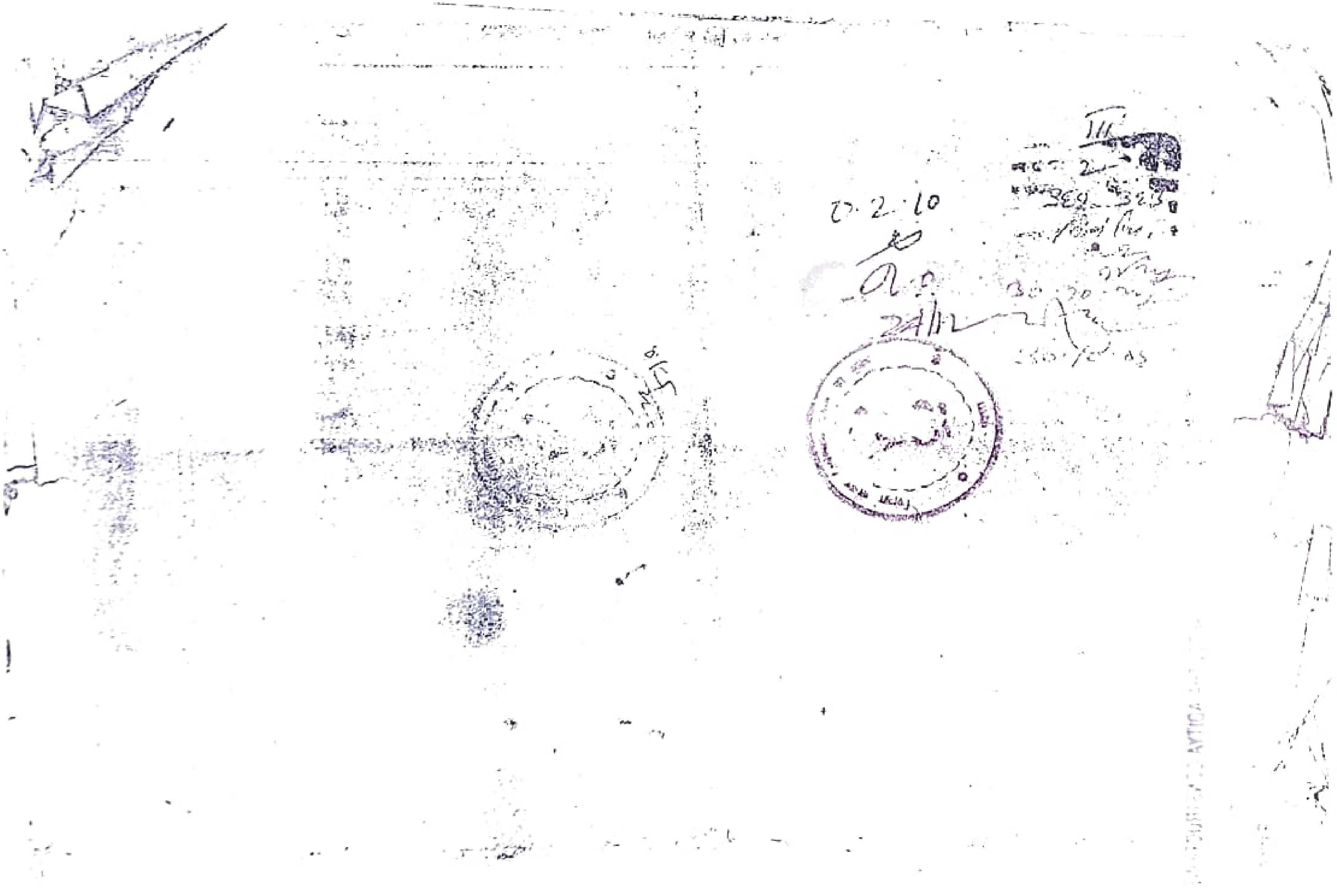
01.2.10

दाखिल खारिज

पच्चीस पैसे

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की नियत तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
3155 / 28/1/06				4/02/06

न्यायालय अंचल अधिकारी पटना सदर
दाखिल खारिज वाद सं- 1317/ वर्ष 04-05

22.6.04 - आवेदिका श्रीमती मीना देवी जौजे श्री [illegible] कुमार ग्राम [illegible] मैनपुरा थाना [illegible] जिला पटना ने एक आवेदन पत्र देकर निम्नलिखित जमीन का दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया है।

मौजा	थाना नं०	खाता	खेसरा	रकबा	लगान
मैनपुरा	02	467	1716	0.18½ डि०	2.00

उपर्युक्त जमीन के संदर्भ में मूल आवेदन पत्र एवं संलग्न कागजात लेते हुए क्षेत्रीय हल्का कर्मचारी से अंचल निरीक्षक के माध्यम से जांच प्रतिवेदन की मांग करें तथा प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात अभिलेख उपस्थापित करें।

ह०- अपठ्य
अंचल अधिकारी
पटना सदर

लेखापित एवं संशोधित
ह०- अपठ्य
अंचल अधिकारी, पटना सदर

क्षेत्रीय कर्मचारी का प्रतिवेदन प्राप्त है उनका प्रतिवेदन है कि [illegible] आवेदिका के [illegible] [illegible] को जो नाबालिग [illegible] कर चुके हैं तथा एस० ईश्वर [illegible] आवेदिका के [illegible] [illegible] जो आवेदिका के [illegible] तथा एस० [illegible] जो नाबालिग [illegible] कर चुके हैं जो आवेदिका के [illegible] कब्जा में है। [illegible] भी प्रतिवेदन है कि जमीन [illegible] है तथा आवेदिका के [illegible] है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभिलेख उपस्थापित करें अंचल निरीक्षक से प्रतिवेदन की मांग करें तथा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभिलेख उपस्थापित करें।

ह०- अपठ्य
अंचल अधिकारी

अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। [illegible] के पुत्र श्री [illegible] एवं [illegible] श्री संतोष कुमार तथा आशुतोष कुमार एवं आम महाल पर सूचना निर्गत करें तथा अभिलेख दिनांक 31.8.04 को रखें।

ह०- अपठ्य
अंचल अधिकारी
पटना सदर

लेखापित एवं संशोधित
ह०- अपठ्य
अंचल अधिकारी पटना सदर

31.8.04 - अभिलेख उपस्थापित। [illegible] तथा महाल पर सूचना निर्गत किया गया था [illegible] [illegible] क्षेत्रीय कर्मचारी तथा का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है तथा अभिलेख के साथ संलग्न है। [illegible] का अवलोकन किया। [illegible] प्रतिवेदन जो अभिलेख के साथ संलग्न है [illegible]

1/2

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Sumit Kumar
Partner

पच्चीस पैसे

भारत

TWENTYFIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
3155 29/1/08				4/2/08

वंशावली से सम्बन्धित शपथ पत्र सं- 14 दिनांक 16/11/03 एवं अन्य कागजात जो अभिलेख के साथ संलग्न हैं का अवलोकन किया। साथ ही अभी तक किसी पक्ष की ओर से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः क्षेत्रीय कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक के अनुसार प्रस्तुत साक्ष्य एवं लेखपाल पपूली के मध्य नजर दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लिखवाया एवं संशोधित

ह०- अस्पष्ट
अंचल अधिकारी, सदर पटना

ह० - अस्पष्ट
अंचल अधिकारी
सदर पटना

लिखा — तुलना किया।

Rs.2 TWO RUPEES INDIA

प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि

2/2

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Partner

भारत

TWENTY FIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की नियत तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलियो देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
3155 4/1/06				4/1/06

दाखिल खारिज के आवेदन पत्र पर कर्मचारी का प्रतिवेदन

केस नं० 1301 वर्ष 05-06 ... मौजा का नाम मैनपुरा थाना फुलवारी थाना नं० 2 दाखिल खारिज का प्रकार - अंश बिक्री - जमाबंदी नं० 442

मुख्य जमीन

रैयत का नाम मय वल्दियत व सकूनत	जमीन का विवरण				अभियुक्ति
	खाता नं०	प्लौट नं०	रकबा	लगान	
मुंशी राय पिता-स्व० छोटी राय मैनपुरा	467 492	1716 1463 1465 1467	0.84½	9.05	
दाखिल खारिज के बाद जमीन					
ऐजन	467 492	1716 1463 1465 1467	0.65½	7.05	
नया जमीन					
श्रीमती मीना देवी जौजे श्री कामेश्वर सिंह उर्फ चौरस कुमार सा० सबलपुर मैनपुरा थाना- फुलवारी शरीफ जिला- पटना	467	1716	0.18½	2.00	

अभियुक्ति

अं० अ०:

जमाबंदी रैयत मुंशी राय आवेदिका के चचेरे परससुर हैं। स्व० छोटा राय आवेदिका के चचेरे ससुर हैं जो नावल्द स्वर्गवास कर गये। स्व० श्री राय आवेदिका के चचेरे ददिया ससुर हैं जो भी नावल्द स्वर्गवास कर गये। उपरोक्त से सम्बन्धित शपथ पत्र की छाया प्रति संलग्न है। जमीन रैयती है। गैरमजरुआ आम / मालिक से मुक्त है। जमीन आवेदिका के दखल कब्जे में है।

अतः जमाबंदी रैयत के पुत्र श्री रामप्यारे सिंह एवं पौत्र सन्तोष कुमार तथा आशुतोष कुमार को सूचना देकर एवं आम सूचना पर सुनवाई उपरान्त दा० खा० की कार्रवाई की जा सकती है।

ह० - अस्पष्ट
रा० कर्म०

अं० अ०:

जमाबंदी रैयत के पुत्र श्री राम प्यारे सिंह एवं पौत्र सन्तोष कुमार तथा आशुतोष कुमार को सूचना देकर एवं आम सूचना पर सुनवाई उपरान्त दा० खा० की स्वीकृति दी जा सकती है।

ह० - अस्पष्ट

प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि
राजेन्द्र कुमार सिंह
6/1/06
लिपिक

ONE RUPEE
INDIA

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Partner

http://www.bhulagan.bihar.gov.in/citizen/payment_receipt.aspx?...

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार सरकार

प्रपत्र-XIV ख
(देखें नियम-10)
लगान रसीद

ऑनलाइन
Running Unique No - 18062021043723871855
(Receipt No.)

जिला - Patna	
हल्का - Patliputra	अंचल - Patna Sadar
जमाबंदी सं0 - 10963	मौजा - मैनपुरा
भाग वर्तमान - 5	
पृष्ठ संख्या - 1978	थाना सं0 - 62
[illegible] का नाम - MINA DEVI	
[illegible] - KAMESHWAR SINGH	पता - RAJAPUR MAINPURA

खाता संख्या	खेसरा संख्या	[illegible]
467	1116	[illegible]

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2021-2022 से 2021-2022
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	14.50	0.00	14.50	0.00	20.00	2021-2022 से 2021-2022
कुल	24.50	0.00	24.50	0.00	30.00	2021-2022 से 2021-2022

वसूली

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	0.00	10.00	10.00	2021-2022 से 2021-2022	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	0.00	14.50	20.00	2021-2022 से 2021-2022	
कुल	0.00	24.50	30.00	2021-2022 से 2021-2022	

तिथि- 18-06-2021

कुल बकाया-30.00
वसूल की गयी राशि शब्दों में- Thirty Rupees

यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति है।
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Sumit Kumar
Partner

Serial No. 5245 Circle:-:Patna Book No. :- 1 Deed No. 5134

Serial No. 5245 Deed No. 5134

Govt. of Bihar
District Registry Office ,Patna

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **04/07/2020** by **Meena Devi**
A stamp duty of Rs. **479300/-** and other fees of Rs. **21500/-** has been paid in it.
The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as deed no. **5134** in Book No. **1**, Volume No. **129** on pages from **142** to **158** and has been preserved in total **17** pages in C.D. No. **17** / Year **2020**

4/7/2020

Signature with Date
(Satya Narayan Choudhary)
Registering Officer, Patna

Date: 04/07/2020 Token No: 5324 /2020

T-5324/2020

दस्तावेज की जाँच किया
एवं
दस्तावेज में अंकित अंक शिर्ली के अनुरूप सही पाया

4/7/2020
जाँच लिपिक
(अरूण कुमार महाराज)

SCANNED BY

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
04/07/2020

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Managing Partner

उन्नयन मनोबंध
(Development Agreement)

यह डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट आज दिनांक 04.07.2020 को श्रीमती **मीना देवी**, पति का नाम श्री धीरज कुमार उर्फ कामेश्वर राय, निवासी- राजापुर मैनपुरा, थाना- पाटलिपुत्रा, जिला- पटना, राज्य- बिहार, जिन्हें आगे जमीन मालिक के नाम से सम्बोधित किया गया है। (जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाये जाने की स्थिति को छोड़कर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक हितबद्ध उत्तराधिकारी को शामिल करेंगे) जिन्हें इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है। मो०नं०- 9304668147.

मीना देवी
04/07/2020

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Sumit Kumar
Partner

District Registry Office,Patna

Token Number 5324 | Reg. Year 2020 | Serial Number 5245 | Deed Number 5134

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Claimant Sig.	Ashok Kumar (Pattner) Ashok Kumar 04/07/2020						
Claimant Sig.	Sumit Kumar (Partner) Sumit Kumar 04/07/2020						
Presented By Sig.	Meena Devi मीना देवी 04/07/2020						
Executant Sig.	Meena Devi मीना देवी 04/07/2020	× Photo	× Thumb	× Index	× Middle	× Ring	× Little
Identified By Sig.	Raj Singh Raj Singh 04/07/2020						

मीना देवी

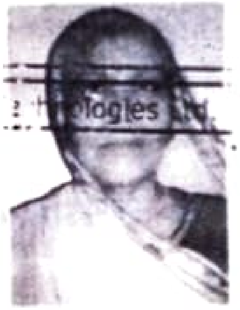

मीना देवी
04/07/2020

एवं

मेसर्स श्रेष्ठ आदित्य कन्स्ट्रकशन, निबंधन कार्यालय- सिद्धेश्वर नगर, फौरेस्ट ऑफिस के पीछे, ग्रीन हैरिटेज एपार्टमेंट के पास, पोस्ट- जी.पी.ओ., थाना- पाटलिपुत्रा कॉलोनी, जिला- पटना जो एक पार्टनरशीप फर्म है द्वारा पार्टनर (1) श्री सुमित कुमार पिता का नाम स्व. सुधीर कुमार, निवासी- 401ए, शिव सूर्या इन्कलेव, चाणक्य नगर, कोथवाँ बगीचा, खगौल, पटना-801105 एवं (2) श्री अशोक कुमार पिता का नाम श्री सच्चिदानन्द सिंह, निवासी- 150, सिद्धेश्वर नगर, पोस्ट- जी.पी.ओ., थाना- पाटलिपुत्रा कॉलोनी, जिला- पटना, पिन-800001, राज्य- बिहार, राष्ट्रीयता- भारतीय के माध्यम से सम्पादित किया जाता है, जिन्हें आगे डेवेलपर/भवन निर्माता/ उन्नयनकर्ता/ विकासक इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है, जिसमें उनके कार्यालय के अधिन्यासी, नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलित है जो इसमें द्वितीय पक्ष के रुप में वर्णित है, के बीच सम्पादित हुआ।

मोबाईल नं0- 9199146726.

मोबाईल नं0-9334121680.

यह कि जमीन मालिक महल्ला- सिद्धेश्वर नगर, मौजा- मैनपुरा, सर्वे थाना- फुलवारी, हाल थाना- पाटलिपुत्रा, जिला-पटना के थाना नं.- 2, तौजी नं.-5508, खाता नं.- 467 (चार सौ सड़सठ), प्लौट नं.- 1716 (एक हजार सात सौ सोलह) में एराजी लगभग- 18.5 डिसमील (अठारह दशमलव पाँच डिसमील) जमीन पर स्वामी के रुप में स्वत्व धारित करते हुए निर्विवाद रुप से शांतिपूर्वक दखल-कब्जे में है। जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख की अनुसूची-I में वर्णित है जो इस विलेख का भाग है।

यह कि अनुसूची-I में वर्णित सम्पति जमीन मालिक की अर्जित सम्पति है जिसे जमीन मालिक ने एक निबंधित वसीका वसीयतनामा के माध्यम से श्री ईश्वर दयाल राय से प्राप्त हुआ है, जिसे जमीन मालिक ने वसीयतकर्त्ता ईश्वर दयाल राय की मृत्यु के पश्चात् प्रोवेट वाद जिला एवं सत्र न्यायालय में दाखिल किया गया जिसका वाद संख्या- 13/1989 है। उक्त वाद को ए.डी.जे.-12, पटना के न्यायालय में ट्रांसफर किया गया जिसका वाद संख्या- 1/1993 है, जिसके अनुसार माननीय न्यायालय में दिनांक 05.04.2019 को प्रोवेट वाद जमीन मालिक के पक्ष में स्वीकृत करते हुए आदेश जारी किया, जिसके अनुसार जमीन मालिक उक्त जमीन एराजी- 18.5 डिसमील पर स्वामिणी के रूप में निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक दखल में रहती चली आ रही है तथा जम्मबंदी संख्या- 10963 पर सरकार को लगान भुगतान कर रसीद कटाती चली आ रही है। परन्तु वर्तमान में जमीन मापी में 16.7225 डिसमील जमीन ही उपलब्ध है इसलिए इस

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Managing Partner
04/07/2020

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Managing Partner
04/07/2020

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Sumit Kumar
Partner
04/07/2020

विलेख मे उतनी ही एराजी अंकित की गई है। इस तरह जमीन मालिक लेख्य सम्पति का एकरारनाम वगैरह करने का पूर्ण अधिकार धारित करती है।

यह कि विकासक को जमीन मालिक ने अनुसूची-1 में वर्णित जमीन के संबंध मे यह विश्वास दिलाया कि जमीन हर प्रकार से पाक-साफ एवं स्वत्व, दोष तथा ऋण भार से मुक्त है। यदि भविष्य मे किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, दोष या ऋण भार पाया जायेगा तो उसकी जिम्मेवारी जमीन मालिक पर होगी और उसके चलते होने वाले हर्जा-खर्चा तथा क्षति-पूर्ति भुगतान करने का दायित्व जमीन मालिक को रहेगा।

यह कि उपर्युक्त दोनों पक्षों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि अनुसूची- I में वर्णित जमीन पर एक बहु मंजिला इमारत का निर्माण निम्नलिखित शर्तो एवं बंधणों पर किया जाय:-

1. यह कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की सहमति से यह तय किया कि अनुसूची- I की जमीन पर **पी.एम.सी./सम्बंधित प्राधिकार** से प्रस्तावित भवन का नक्शा एवं प्लान विकासक अपने फर्म के नाम से स्वीकृत कराकर उसके अनुरुप बहु मंजिला इमारत बनाएंगे।

2. यह कि जमीन मालिक और द्वितीय पक्ष डेवलेपर के बीच इस संबंध में इस विलेख के निष्पादन के पहले से बातचीत चल रही थी और अब डेवेलपर्स ने अंतिम रुप से यह निर्णय लिया है कि वे उक्त सम्पति को उन्नयन के लिए ग्रहण करेंगे और जमीन मालिक को आश्वासन दिया तथा आश्वस्थ किया है कि उक्त सम्पति का उन्नयन करने में किसी भी तरह से जमीन मालिक को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यह भी कि जमीन मालिक किसी दूसरे व्यक्ति के दावे से उन्मुक्त रखते हुए क्षति होने की दशा में विकासक को इस एकरारनामा के निष्पादन पर क्षतिपूर्ति करेंगे।

3. यह कि उभय पक्ष सहमत हुए कि द्वितीय पक्ष के डेवलपर बचनबद्ध करते है कि अनुसूची- I में वर्णित जमीन पर बहु-मंजिला इमारत की संरचना करेंगे।

4. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता ने यह भी तय किया कि भवन के अंतिम रुप से निर्माण के पश्चात सम्पूर्ण शिखर पर terrace का व्यवहार उक्त इमारत के धारक तथा इमारत के स्वामियों द्वारा बनाये गए सदस्य ही करेंगे।

5. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता द्वारा यह भी तय किया गया कि पी.एम.सी./सम्बंधित प्राधिकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित निर्माणाधीन हिस्से में जमीन मालिक का 50 प्रतिशत (उत्तर तरफ) एवं भवन निर्माता का 50 प्रतिशत (दक्षिण तरफ) हिस्सा परम निर्मित

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Partner
04/07/2020

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Sumit Kumar
Managing Partner
04/07/2020

04/07/2020

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Sumit Kumar
Partner

क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, फ्लैट इत्यादि में होगा और जमीन मालिक का 50 प्रतिशत (उत्तर तरफ) हिस्सा इस विलेख की अनुसूची- III में वर्णन के अनुरूप निर्मित होगा।

6. यह कि डेवलपर ने स्वीकार किया है कि भवन प्रथम कोटि का होगा और उन्नत इमारत में प्रयुक्त सभी सामान बिना मिलावट के और दीर्घ टिकाउ गुणवत्ता वाले लगाए जायेंगे।

7. यह कि उभय पक्षो के बीच परस्पर घोषणा और प्रतिनिधित्व के द्वारा बातचीत के फलस्वरुप डेवेलपर द्वारा उक्त जमीन के उन्नयन के लिए किया गया एकरारनामा शर्तों और बन्धणों के साथ अंकित किया गया।

8. यह कि जमीन मालिक डेवेलपर को यह स्वीकृत करते है और डेवेलपर जमीन मालिक से उक्त जमीन को उन्नत करने का अधिकार स्वीकार करते है उन शर्तों और बन्धणों पर जो इस एकरारनामा की अनुसूची- I में वर्णित है।

9. यह कि डेवेलपर उक्त जमीन पर बनाए जाने वाली इमारत कम्पलेक्स का नक्शा, स्वरुप और (elevation) आकृति तैयार करने जिसमें किये जाने वाले कार्य का specification तथा प्रयोग किये जाने वाले सामानों जो प्रथम कोटि के होने चाहिए, के लिये एक वस्तुकार architect की नियुक्ति करेंगे। इस पर होने वाले सभी खर्च और architect को दिये जानेवाला पारिश्रमिक (fees) डेवेलपर द्वारा दिया और वहन किया जायेगा। यह भी तय हुआ कि डेवेलपर उक्त जमीन का उन्नयन कर अधिकतम अनुमान्य एफ-ए-आर सुनिश्चित करेंगे और तद्नुसार उन्नयन योजना बनायी जाएगी और भवन स्वीकृति प्राधिकार अर्थात् **पी.एम.सी./सम्बंधित प्राधिकार** को भेजी जाएगी।

10. यह कि जमीन मालिक यह भी सहमत है कि डेवेलपर उक्त वास्तुकार (architect) द्वारा निर्मित प्लान **पी.एम.सी./सम्बंधित प्राधिकार** और कोई अन्य प्राधिकारों अगर हो, को विकासक अपने हस्ताक्षर से अपनी ओर से जमा कर देंगे और भवन प्लान की स्वीकृति प्राप्त करेंगे। उपर्युक्त कार्य से संबंधित खर्च का भुगतान डेवेलपर करेंगे।

11. यह कि इस मनोबंध के निष्पादन के बाद जमीन मालिक डेवेलपर को उनके कर्मचारियों, अभिकर्ताओं, कारीगरों, अभियंताओं एवं मजदूरों को उक्त सम्पति में प्रवेश करने की अनुमति देंगे, जिससे वे विभिन्न विकास-पूर्व कार्य अथवा नक्शा और योजना का निर्माण जैसे कार्य कर सकें। वैसे विकास कार्य की सुविधाओं की अनुमति डेवेलपर

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Partner
04/07/2020

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Managing Partner
04/07/2020

04/07/2020

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Sumit Kumar
Partner

द्वारा **पी.एम.सी./सम्बंधित प्राधिकार** और अन्य प्राधिकारों से भवन निर्माण योजना की स्वीकृति के बाद दी जाएगी।

12. यह कि प्राकृतिक विपदा और डेवेलपर की शक्ति के नियंत्रण के बाहर या सरकारी नियम या कानूनी अवरोध या जमीन मालिकगण के अवरोध के कारणों को छोड़कर जिससे उक्त सम्पति और निर्माण कार्य प्रभावित हो, भवन निर्माण की समय सीमा **3 वर्ष 6 माह** की होगी और उसके बाद कार्य पूर्ण करने का **छह** महीने का कृपा काल होगा। भवन निर्माण की कुल समय सीमा कृपा काल सहित **पी.एम.सी.** द्वारा नक्शा स्वीकृति एवं रेरा निबंधन की तिथि से गिनी जाएगी। अगर तय समय पर जमीन मालिक के हिस्से का निर्मित क्षेत्र का दखल कब्जा जमीन मालिक को नही दिया गया तो विकासक जमीन मालिक को मो. 10,000/- रूपया प्रतिमाह की दर से विलम्व शुल्क के रूप में भुगतान करेंगे।

13. यह कि जमीन मालिक सहमत है और वचनबद्ध है कि वे बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा 5 (1) एवं 5 (2) तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों को पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरुप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक/ संप्रवर्तक एवं भू-स्वामी अपने-अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होंगे तथा वे अपने-अपने हिस्से को पृथक् रुप से बेचने/अन्तरण करने के हकदार होंगे और उसका नियमानुकुल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करेंगे जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। विकासक अपने हिस्से का क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेंगे और विक्रय के लिए एकरारनामा करेंगे। जिसमें जमीन मालिक के हिस्से का क्षेत्र सम्मिलित नहीं रहेगा।

14. यह कि उक्त जमीन पर सम्पूर्ण इमारत कम्पलेक्स तथा उन्नयन कार्य पूर्ण होने पर डेवेलपर बिक्री योग्य निर्मित इमारत के फ्लैट क्षेत्र का आनुपातिक आधार पर जमीन मालिकगण को 50 प्रतिशत सुपुर्द कर देंगे (प्रत्येक कोटि के फ्लैटों पर अर्थात् वे फ्लैट जो उक्त विकसित और निर्मित इमारत के प्रमुख अंग होंगे जो डेवेलपर या उनके नामित को आनुपातिक रुप से उनको 50 प्रतिशत हिस्सा के भागीदार होंगे, साथ ही साथ इस श्रेणी की तकनीकी जरुरतों को ध्यान में रखते हुए निर्माण प्रथम कोटि का होगा।

नक्शा स्वीकृति के पश्चात् भवन निर्माण होने पर मंजिलों में बढ़ोतरी का संशोधित नक्शा यदि अनुमोदित होता है तो वैसी स्थति में निर्माण कार्य विकाषक द्वारा पूर्ण करने पर उपर्युक्त अंकित अनुपातिक हिस्से के लिए जमीन मालिक भी हकदार होंगे। और उसी

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Partner
04/07/2020

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Managing Partner
04/07/2020

मीना दुबे
04/07/2020

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Sumit Kumar
Partner

अनुपात में क्रेताओं का प्रति फ्लैट अनुपातिक जमीन में हिस्सा बदल जायेगा।

16. यह कि यथावर्णित ''जमीन मालिक का क्षेत्र'' पर जमीन मालिक को 50 प्रतिशत का अधिकार होगा जिसका इमारत के पूर्णतया तैयार होने के बाद निर्धारण और स्पष्टीकरण किया जाएगा। किन्तु, फ्लैटों में ''जमीन मालिक का क्षेत्र'' का निर्धारण आपसी मेल-जोल से होगा। सम्मिलित क्षेत्र अर्थात् सीढ़ी घर, रास्ता, पम्प घर, जेनरेटरघर, वाहन क्षेत्र, लिफ्ट स्थान, प्रहरी घर, सम्मिलित शौचालय एवं सम्मिलित (सामुहिक) उपयोग की अन्य चीजें जमीन मालिक और डेवेलपर दोनों के द्वारा उपयोग की जाएंगी।

17. यह कि डेवेलपर को उक्त जमीन के उन्नयन का अधिकार होगा जिसका उन्नयन वे उस पर इमारत/फ्लैट बनाकर, कार पार्किंग स्थान और अन्यान्य tenements के द्वारा जो **पी.एम.सी./संबंधित प्राधिकार** और/अथवा अन्य संबंधित प्राधिकार से स्वीकृत नक्शा की शर्तों और बंधेजों के अनुसार करेंगे अथवा उक्त उद्देश्य के लिए जमीन मालिक डेवेलपर को जरुरत पड़े तो वैसे सभी कार्य (acts, deeds, matters) को करने के लिए डेवेलपर को अधिकृत करते है जिसमें खास बातें निम्नवत है :-

A. उक्त जमीन पर संबंधित प्राधिकार के नियमों एवं परिनियमों के अनुसार जमीन मालिक के नाम में प्रस्तावित इमारत की योजना बनाना और स्वीकृति के लिए आवेदन तैयार करना, कानूनी कदमों, वचनबद्धता सम्बन्धी कागजात तैयार करना, हस्ताक्षर करना तथा परियोजना की स्वीकृति के लिए उन्हें जमा करना।

B. इमारत तथा परियोजना के लिए सर्वेयर, इंजीनियर, ठेकेदार, मजदूर और अन्य लोगों की नियुक्त करना।

C. पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन करना तथा सिमेंट, लोहा और अन्य भवन निर्माण सामग्री के लिए सरकारी कोटा के परमिट के लिए आवेदन करना।

D. किसी भी याचिका (writ) नोटिस या अन्य कानूनी प्रक्रिया प्राप्त करना और जमीन मालिक की ओर से न्यायालय में किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट tribunal या अन्य के समक्ष उपस्थित होना साथ ही किसी न्यायालय सरकारी अधिकारी या tribunal के समक्ष उक्त सम्पति से संबंधित किसी मामले, मुकदमें में उपस्थित होना, बचाव करना, मुकदमा दायर करना, सभी आवश्यक कागजात पेश करना एवं वकालतनामा दायर करना। ये सभी काम डेवेलपर अपने खर्च पर करेंगे।

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Partner
04/07/2020

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Managing Partner
04/07/2020

04/07/2020

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Sumit Kumar
Partner

E. जैसे कहा जा चुका है उक्त जमीन पर भवन बनाना और उसकी बिक्री/ lease पर देने या अन्य प्रकार के आवंटन के लिए खरीदारों एवं lease लेनेवालों से विलेख की शर्तो के अनुरुप मनोबंध करना और उक्त इमारत मे अपना हिस्सा आंशिक या सम्पूर्ण रुप से एक या अन्य प्रस्तावित सहकारी समितियों को देना।

F. उपर्युक्त कथनानुसार उक्त इमारत एवं फ्लैट आदि को स्वामित्व अथवा अन्य आधार पर डेवेलपर के हिस्से से देना और उसका असिम अथवा बिक्री मूल्य का हिसाब रखना बशर्ते कि ऐसी प्राप्तियाँ सदैव डेवेलपर द्वारा उक्त जमीन के केवल विकास और निर्माण के लिए उपयोग की जाएंगी।

G इमारत कम्पलेक्स मे फ्लैट/tenements आदि खरीदने वालों को अपने फ्लैट/tenements के एवज मे आर्थिक संस्थाओं से ऋण लेने के लिए डेवेलपर को इमारत मे अपना हिस्सा बंधक रखना।

H. डेवेलपर को यह अधिकार होगा कि वे अपने 50 प्रतिशत हिस्से को सीधे अथवा सहकारी समितियों द्वारा बेचने, आवंटित करें और उनके पक्ष मे खरीदारों के नाम विक्रय पत्र निष्पादित करें।

I. जमीन मालिक ने स्वीकार किया है कि यदि डेवेलपर उक्त परियोजना से सटे या उसके आस-पास की जमीन पर कोई दूसरी परियोजना का विस्तार करें तो उन्हें किसी प्रकार की आपति नही होगी।

J. डेवेलपर को यह अधिकार होगा कि वे पूर्वोक्त जमीन का उन्नयन उस पर एक या अनेक भवन, फ्लैट, पार्किंग स्थान और अन्य tenements इमारत के नक्शे के अनुसार एक सम्मिलित नक्शा अथवा अलग-अलग नक्शा बनाकर और अगल-बगल की जमीन लेकर एक योजना अन्तर्गत या खंड-खंड में योजना बनाकर निर्माण करेंगे और हिस्सा अनुसार हिस्से का बंटवारा एवं बिक्रय इत्यादि करेंगे, उन्हें बेचेंगे, आवंटित करेंगे अथवा निरस्त करेंगे जैसी जरुरत हो, वैसी करेंगे, ऐसा अधिकार उन्हें सम्मिलित सभी जमीन पर बने ईमारत के लिए होगा जिसे वे जिसे उचित समझें बेचें और ऐसे फ्लैट इकाइयों/ tenements पार्किंग स्थान का मूल्य वसूलें और अपने खाते में अपने लिए रखें। ऐसी कार्रवाई के लिए किसी भी जमीन मालिक को आपत्ति का अधिकार नहीं होगा। बंटवारे के अनुरूप एक-दूसरे की जमीन पर बनी ईमारत में भी हिस्सा सम्भावित है, जिसे भी उभय पक्ष स्वीकार करते है।अगर डेवेलपर प्रधिकार से स्वीकृत फ्लैटों के अलावा कोई निर्माण या विचलन करते है तो उसके लिए आर्थिक दण्ड या किसी भी तरह के दण्ड के लिए जिम्मेबार

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Managing Partner
04/07/2020

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
04/07/2020
Partner

मीना देवी
04/07/2020

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Partner

डेवेलपर ही होगें और उस निर्माण के देनदार एवं दावेदार सिर्फ डेवेलपर ही होगें। और जमीन मालिक उस निर्माण या विचलन के लिए किसी भी तरह का कोई दण्ड नहीं भरेगें। और न ही कोई दाबेदारी करेगें। उसकी जिम्मेबार दावेदार या देनदार सिर्फ डेवेलपर ही होगें।

K. पूर्वोक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत के लिए योजना को संबंधित प्राधिकार के नियमों के अन्तर्गत तैयार कर इसे पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार/सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृत कराने के लिए आवेदन तथा बचनबद्धताओं को अगर डेवेलपर चाहें तो जमीन मालिक ऐसे सभी आवश्यक योजनाओं, विशिष्टियों, घोषणाओं, शपथ-पत्रों और अन्य कानूनी अथवा statutory कागजातों को **पी. एम.सी./सक्षम प्राधिकार** अन्य अधिकारियों से स्वीकृत कराने के लिए हस्ताक्षर करने पर सहमत हैं।

18. यह कि जमीन मालिक घोषणा करते है :-

(i). कि जमीन मालिक को उक्त जमीन से संबंधित इसके अधिग्रहण या अधियाचना के लिए कोई नोटिस या अधिसूचना प्राप्त नही हुई है और उन्हें इसका उन्नयन करने या कराने के लिए अधिकार है।

(ii). कि उक्त जमीन से संबंधित इस जमीन या इसके किसी हिस्से पर कोई दावा, मांग, निषेधाज्ञा या संलग्नता किसी करारोपन अधिकारी, राजस्व अधिकारी या सरकार अथवा स्थायी निकायों या अधिकारियों द्वारा नहीं है।

(iii). कि उक्त जमीन से संबंधित कोई मनोबंध या व्यवस्था नही चल रहा है और अगर डेवेलपर को किसी ऐसे व्यवस्था का पता चले तो डेवेलपर को यह मनोबंध रद्द करने और इसका पूरा खर्च बैंक दर पर सूद के साथ जमीन मालिक से वसूल करने का अधिकार होगा।

(iv). कि जमीन मालिक के अलावा उक्त जमीन पर और किसी का कोई अधिकार, हिस्सा या हक नही है और जमीन मालिक किसी बेनामी जमीन मालिक के बेनामीदार नहीं है।

(v). कि जमीन मालिक ने घोषणा की है कि उक्त जमीन पर कोई दायित्व या अवभार नहीं है और अगर उस पर कोई झूठा दावा करता है तो ज़मीन मालिक ऐसे दावे को अपने खर्चे पर चुनौती देंगे या विकासक को यह अधिकार होगा कि वो अपने स्तर से उस विवाद का निपटारा करेंगे और विवाद निपटारा में होने वाला खर्च जमीन मालिक के हिस्से में सामंजयन करेंगे।

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Partner
04/07/2020

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Managing Partner
04/07/2020

04/07/2020

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Partner

(vi). कि उक्त जमीन के अधिकार से संबंधित किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नही चल रहा है और कोई भी शुल्क या कर इस विलेख के लिखे जाने तक बाकी नहीं है और अगर इसके पूर्व का कोई टैक्स या शुल्क बकाया हो तो जमीन मालिक उसका भुगतान करेंगे।

(vii). कि जमीन मालिक उक्त जमीन के हस्तांतरण, अंतरण के उद्देश्य से मनोबंध हो जाने के बाद प्रस्तावित इमारत में डेवेलपर सहित किसी समिति के हिस्से को सौंप देंगे और जमीन मालिक बचनबद्ध है कि वे पूर्वोक्त घोषणाओं के विरुद्ध कोई काम या कार्रवाई नही करेंगे।

(viii). कि जमीन मालिक को उन्नयनकृत संपति में अपने हिस्से को बेचने, पट्टा पर देने अथवा निबटान करने का अधिकार होगा।

19. उचित अधिकार सहित इन प्रावधानों (presents) के अन्तर्गत डेवेलपर निर्मित भवन में कम से कम फाउंडेशन के संरचना कार्य की पूर्णता के बाद जमीन मालिक और इमारत में उनके हिस्से की पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करते हुए डेवेलपर अपना हिस्सा बंधक रख सकते है बशर्ते ऐसा ऋण अथवा उधार डेवेलपर इमारत के अपने हिस्से की जमानत पर लेंगे और यह परियोजना के उन्नयन और जमीन मालिक की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार इमारत के निर्माण में लगाया जाएगा।

20. इस उन्नयन मनोबंध की शर्तो के अनुपालन के साथ दोनों पक्षों के बीच यह स्पष्ट सहमति हुई है कि डेवलेपर इमारत कम्पलेक्स में निर्मित क्षेत्र का 50 प्रतिशत बिक्री योग्य हिस्से को डेवेलपर उनके नामित के पक्ष में उक्त ढंग से हस्तांतरिक करने के लिए डेवलपर सभी कदम उठाएंगे एवं सम्पूर्ण खर्च का वहन करेंगे।

21. यह कि भवन निर्माता तथा जमीन मालिक का हिस्सा सहित सम्पूर्ण इमारत का नाम **"आदित्य मीना इन्कलेव"** होगा और पार्किंग स्थान सहित सारा निर्माण खर्च केवल डेवेलपर द्वारा वहन किया जाएगा तथा केवल डेवेलपर ही सरकार, **पी.एम.सी./सक्षम प्राधिकार** एवं अन्य अधिकारियों के प्रति इस जमीन के उन्नयन के लिए जवाब देय होंगे तथा उन्नयन क्रम में अगर कोई नुक्सान हो तो इसकी क्षतिपूर्ति तथा जमीन मालिक को इससे संबंधित सभी कार्यवाही, मांग, दावा, खर्च, नुक्सान, दंड अथवा अन्य कार्य असफलता, विलम्ब शुल्य या अनुबंध-विच्छेद के कारण (नगर निगम या अन्य प्राधिकारों द्वारा निर्मित नियमों के अन्तर्गत) हुई क्षति की पूर्ति करेंगे।

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Partner

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Managing Partner

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Partner

22. जमीन मालिक अपनी सहमति और वचनबद्धता व्यक्त करते है कि वे डेवेलपर के पक्ष में इस मनोबंध की शर्तो एवं बंधेजों के अनुरुप उक्त जमीन के उन्नयन से संबंधित सभी आवश्यक कार्य करने के लिए जमीन मालिक की ओर से विकासक को प्राधिकृत करते है जो अपने हिस्से की जमीन बिक्री के निमित इकरारनामा इत्यादि निष्पादित करेंगे।

23. इस उन्नयन मनोबंध के तथा इससे संबंधित सभी जेब खर्च, शुल्क, कानूनी खर्च जिसमें हस्तांतरण का स्टाम्प खर्च और निबंधन खर्च शामिल है, डेवेलपर या उनके नामिनों द्वारा वहन किया जाएगा।

24. **पी.एम.सी.** (पटना नगर निगम) द्वारा इमारत की योजना की स्वीकृति से **छः** महीने की कृपा अवधि के अन्तर्गत अगर डेवेलपर इमारत के निर्माण में असफल हो जाते है अथवा जमीन मालिक को बिक्री योग्य निर्मित क्षेत्र सुपुर्द करने में (चूंकि समय सीमा इस मनोबंध का प्रमुख अंग है) असमर्थ रहते हैं वैसे किसी दैवी कारण या नियंत्रण के बाहर प्राकृतिक विपति को छोड़कर जो इस निर्माण को प्रभावित करता है, वैसी हालत में पूर्वोक्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत इमारत को पुरा न करने के कारण डेवेलपर को विलम्ब शुल्क देकर आगे की कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

25. इस मनोबंध की शर्तो के अनुसार उक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत में बिक्री योग्य निर्मित क्षेत्र पर अधिकार एवं हित के अतिरिक्त जमीन मालिक को परम निर्मित क्षेत्र यथा, गवाक्ष, सीढ़ी घर, रास्ता, लिफ्ट, पानी की टंकी, जेनरेटर कमरा, खुली जगह, वाहन पार्किग स्थान और सभी सामूहिक क्षेत्र पर भी जमीन मालिक को अधिकार होगा।

26. डेवेलपर **पी.एम.सी.** के नियम, परिनियम और कानूनों का दृढ़ता से पालन करेंगे और सर्वदा किसी क्षति, दावा, मांग जो नियमों और कानूनों के उल्लंघन से उत्पन्न हो उससे जमीन मालिक को क्षतिपूर्ति करायेंगे।

27. इमारत की योजना में डेवलेपर सभी सामान्य (Civil), बिजली, plumbing and sanitory कार्यो जिसमें भूमिगत एवं उपरी टंकी, पानी व्यवस्था, नल पम्प, गृह सेवा आदि शामिल है वे **पी.एम.सी.** की स्वीकृत योजना के अनुसार शामिल होगा।

28. उक्त इमारत या परिसर में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति या डेवेलपर पर किसी कार्य के चलते किसी व्यक्ति या प्राधिकार को देय किसी नुकसान, दावा, क्षतिपूर्ति के लिए डेवेलपर जमीन मालिक को पूरी तरह क्षतिपूर्ति करेंगे और जमीन मालिक किसी भी

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS

04/07/2022

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS

Managing Partner

04/07/2022

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS

Partner

तरह का भुगतान करने, मजदूर क्षतिपूर्ति कानून अथवा किसी अन्य कानून के अन्तर्गत किसी दुर्घटना से संबंधित मुकदमें में बचाव करने के लिए जवाबदेह नही होंगे।

29. यह कि विकासक द्वारा जमीन मालिक को कुल मो. 15,00,000/- (पन्द्रह लाख) रूपया नन रिफंडेबुल एवं नन एडजेस्टेबुल राशि का भुगतान किया जा चुका है।

30. प्रस्तावित इमारत **पी.एम.सी.** द्वारा स्वीकृत हो रहे वास्तुशिल्प की विशिष्टियों के अनुसार निर्मित होगी।

यह की लेख्य प्लौट से संबंधित जरुरी कार्यो के लिए जमीन मालिकगण ही प्राधिकृत हैं क्योंकि अपने परिवार में कर्ता की हैसियत से वरिये सदस्य होने के नाते परिवार के हित में आवश्यक कानूनी खर्चो की पूर्ति हेतु नियमानुकुल प्राधिकृत हैं।

अनुसूची-I

वह आवासीय परती जमीन जो महल्ला- सिद्धेश्वर नगर, मौजा- मैनपुरा (नेहरू नगर श्रीकृष्णापुरी क्षेत्र), सर्वे थाना- फुलवारी, हाल थाना- पाटलिपुत्रा, जिला-पटना के थाना नं.- 2, तौजी नं.-5508, खाता नं.- 467 (चार सौ सड़सठ), प्लौट नं.- 1716 (एक हजार सात सौ सोलह) में एराजी लगभग-16.7225 डिसमील (सोलह दशमलव सात दो दो पाँच डिसमील) जिसमें पुराना बाउंड्रीवाल किया हुआ है। यह लेख्य सम्पति पटना नगर निगम, अवर निबंधन कार्यालय पटना सदर तथा जिला निबंधन कार्यालय पटना क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित है, जिसका वार्षिक लगान मो. 10/- रूपये अलावे सेस बिहार सरकार को अंचलाधिकारी, पटना सदर के माध्यम से जमाबंदी संख्या- 10963, भाग वर्तमान-9, पृष्ठ संख्या- 1878 पर भुगतान किया जाता है, जिसकी चौहद्दी निम्नवत है :-

चौहद्दी

उत्तर	:-	श्री राजु कुमार
दक्षिण	:-	श्री त्रियोगी प्रसाद सिंह एवं संजीव कुमार
पूरब	:-	श्री मुन्द्रिका महतो
पश्चिम	:-	सहायक सड़क

नोट :- उपर्युक्त सम्पति वर्ष 2016-17 के न्युनतम दर पंजी के **कोड नं- 616, जोन-3** पर अंकित है, जिसका वर्त्तमान बाजार मूल्य मो० 2,39,12,000/- (दो करोड़ उन्चालीस लाख बारह हजार) रूपया मात्र जिसमें जमीन का मूल्य मो. 2,34,12,000/- एवं बाउंड्रीवाल का मूल्य मो. 5,00,000/- रूपये मात्र है।

घोषणा पत्र

दस्तावेज में कोई ऐसा तथ्य छुपाया नहीं गया है जिससे सरकारी राजस्व की हानि हुई है और बाद में जाँचोपरान्त राजस्व चोरी पाये जाने पर पक्षकार पर कानूनी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र होगी।

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS

Partner

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS

Partner

04/07/2021

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS

Managing Partner

04/07/2021

04/07/2021

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS

सभी प्रकार के रोग से मुक्त पाया

Partner

अनुसूची II

बनने वाले भवन का संक्षिप्त वास्तुशास्त्रीय एवं ढांचागत विवरण।

ढांचा :- पी.एम.सी. द्वारा स्वीकृत आर.सी.सी. फ्रेम ढांचा।

civil कार्य:- पी.एम.सी. द्वारा स्वीकृत प्रथम कोटि का सिमेंट, (ए.सी.सी.) सोन बालू, ईट एवं मसाला।

परिसज्जन :- सभी दीवारें तथा भीतरी छत में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रथम सतह एवं बाहर की दीवारें वेदर कोट से पुती होंगी।

दरवाजे :- दरवाजे का फ्रेम लकड़ी एवं दरवाजे का मुख्य फ्रेम 5''×2.5'', दरवाजे का पल्ला लेमिनेटेड वाटर प्रुफ प्लाई 32एम.एम. का होगा।

खिड़कियाँ :- अल्युमिनियम के फ्रेम में स्लाईडिग पूर्णतः glazed खिड़कियाँ।

फर्श :- भिट्रीफाईड टाईल्स ।

शौचालय :- मुख्य शयन कक्ष से जुड़े एक शौचालय में गर्म पानी का नल, सफेद glazed टाइल्स 7' की उँचाई तक सभी शौचालय का साजोसमान ISI ब्राण्ड का उपयोग होगा। किचेन एवं बाथरुम का जमीन संगमरमर का होगा।

रसोई घर :- संगमरमर/ग्रेनाईट का कार्यकारी platform तथा स्टील का सिंक, कार्यकारी platform से 24'' उँचा रंगीन glazed टाइल्स।

बिजली व्यवस्था:- मानक बिजली सामग्री के साथ concealed पी.वी.सी. conduit wiring मुख्य शयन कक्ष में A.C. प्वाइंट (हेवल्स/एंकर/कोने का सभी सामान) ।

लिफ्ट :- चार/छह व्यक्तियों का भार वहन करने योग्य लिफ्ट उच्च कोटि का ISI Mark होगा।

उपर्युक्त specifications में promoters/architect द्वारा निर्णित कुछ फेर बदल संभव है।

पूर्वोक्त finishing केवल जमीन मालिक के क्षेत्र के लिए है और सभी निर्मित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा।

अनुसूची III

जमीन मालिक के फ्लैट की खास विशेषताएं :-

1. बैठकखाने में एक TV तथा इंटरकॉम का प्वाइंट।
2. चौबीसो घंटे अपने ट्युबवेल से जुड़े सामूहिक उपरी टंकी से पानी की व्यवस्था।

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS Partner 04/07/2020

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS Managing Partner 04/07/2020

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS Partner

3. सामूहिक सेवा के लिए प्रतीक्षारत ध्वनी रहित जेनरेटर।
4. बैठकखाने में एक टेलीफोन प्वाइंट (कनेक्शन नहीं)
5. फ्लैट के अन्दर concealed बिजली का तार होगा।

यह कि यह करारनामा अपनी पूर्ण स्वस्थ मानसिक स्थिति में सोंच-समझकर निम्नलिखित गवाहों के समक्ष लिख दिया कि समय पर काम आवे एवं प्रमाण रहे।

गवाहगणः -

1. Raj Singh
04/07/2020
Raj Singh S/o Sunil Kr. Singh
Anandpuri, Patna.

मीना देवी
04/07/2020

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

2. कामेश्वर सिंह
पिता-स्व० राम नारायण सिंह
ग्रा० रानापुर कैमपुरा
जिला- पटना
04/07/2020

1. SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Sunil Kumar
04/07/2020
Managing Partner
SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
2. Ashok Kumar
04/07/2020
Partner

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

मीना देवी/04/07/2020

यह विलेख जमीन मालिक एवं विकासक के निदेश पर लिपिबद्ध किया गया है।

मुद्रित किया:-

Jay Anand
Chamber of 04/07/2020 Advocate
(डॉ. अनिल कुमार सिन्हा "उद्योगी")
अधिवक्ता,
"चैम्बर", समाहरणालय अधिवक्ता संघ,
पटना।

(संजीव कुमार),अधिवक्ता
उद्योगीजी का चैम्बर
समाहरणालय अधिवक्ता संघ,
पटना।

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Sumit Kumar
Partner

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	**Rs. 479300/-**	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	**Rs.**	**0/-**
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act **Rs.**	**0/-**	Amt.paid through Bank Challan	**Rs.**	**500800/-**

FEE PAID — **Registration Fee**

A1	1000	C	0	H1b	0	K1a	0	LII	0	
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	LIII	0	
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0	
A10	0	E	20000	J1	0	K2	0	Na	0	
B	0	H1a	0	J2	0	LI	0			
								TOTAL-	21000	

LLR + Proc Fee

LLR	0
Proc.Fee	0
Total	0

Service Charge: 500

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 21500

Registering Officer
Patna

Date: 04/07/2020

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Saturday, 04th July 2020 by Meena Devi Dhiraj Kumar Alias Kameshwar Ray by profession House Wife. Status - Executant

मीना देवी
04/07/2020

Registering Officer
Patna

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:04/07/2020**

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Raj Singh' age '29' Sex 'M', 'Sunil Kumar Singh', resident of 'Anandpuri, Patna '.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Patna

Date : 04/07/2020

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book 1 Volume No. 129 on pages on 142 -158, for the year 2020 and stored in CD volume No. CD-17 year 2020 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Patna

Date : 04/07/2020

Token No. : 5324 Year : 2020 S.No. : 5245 SCORE Ver.4.1 Deed No . :d No . : 5134

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Sumit Kumar
Partner

बिहार सरकार

Help

View GRN Details Live

9-53 aqtr/2021

Download e-Challan

GRN	: BHR202007041455M VIEW
DSRO CODE	**2800**
Party Name	**MS SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS**
Stamp Duty-(R0030021030001)	**0**
Registration & Other Fees-(R0030031040001)	**21000**
LLR & Proc Fee-(R0029008000006)	**0**
Challan Total Amount	**21000**
Status	**Success**
Payment Date	2020-07-03 11:59:07.0
CIN	00001532020070289293

Powered by IL&FS Technologies Ltd.

copyright © 2015 Registration, Excise & Prohibition Department

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS

Sumit Kumar

Partner

बिहार सरकार

Help

View GRN Details Live

53241/20

Download e-Challan

GRN	: BHR202007039561M VIEW
DSRO CODE	**2800**
Party Name	**MS SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS**
Stamp Duty-(R0030021030001)	**479300**
Registration & Other Fees-(R0030031040001)	**0**
LLR & Proc Fee-(R0029008000006)	**0**
Challan Total Amount	**479300**
Status	**Success**
Payment Date	2020-07-03 11:57:02.0
CIN	00001532020070282286

Powered by IL&FS Technologies Ltd.

copyright © 2015 Registration, Excise & Prohibition Department

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS

Sumit Kumar

Partner

भारत सरकार
[redacted]

मीना देवी
Meena Devi
जन्म तिथि/ DOB: 01/01/1964
महिला / FEMALE

2277 2732 2251

मेरा आधार, मेरी पहचान

[redacted] प्राधिकरण
[redacted] OF INDIA

आधार

पता:
अर्धांगिनी: धीरज कुमार,
राजापुर मैनपुरा, गेट न 37,
मस्जिद के पास, फुलवारी,
पटना,
बिहार - 800001

Address:
W/O: Dhiraj Kumar, rajapur
mainpura, gate no 37, near masjid,
Phulwari, Patna,
Bihar - 800001

1947 | 1800 300 1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in | P.O. Box No. 1947, Bengaluru-560 001

मीना देवी
4/3/2020

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS

Partner

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सुमित कुमार
Sumit Kumar
जन्म तिथि/ DOB: 01/01/1994
पुरुष / MALE

7835 8154 5888

आधार-आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
आत्मज: सुधीर कुमार, सोना, सोना, पटना, बिहार - 801109

Address:
S/O: Sudhir Kumar, sona, sona, Patna, Bihar - 801109

7835 8154 5888

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

Sumit Kumar
04/07/2020

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS
Sumit Kumar
Partner

[redacted]

अशोक कुमार
Ashok Kumar
जन्म तिथि/ DOB: 18/01/1971
पुरुष / MALE

9911 2310 9990

आधार-आम आदमी का अधिकार

Ashok kumar
04/07/2020

[redacted] प्राधिकरण
[redacted] OF INDIA

आधार

पता:
आत्मज: एस.एन सिंह, 150,
नेहरू नगर फॉरेस्ट ऑफीस के
पीछे, सिधेश्वर नगर, बुदद
कॉलोनी, पटना,
बिहार - 800001

Address:
S/O: S.N Singh, 150, Behind Nehru
Nagar Forest Office, Sidheshwar
Nagar, Budda Colony, Patna,
Bihar - 800001

9911 2310 9990

1947
1800 300 1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in | P.O. Box No. 1947, Bengaluru-560 001

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS

Sumit Kumar
Partner

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

RAJ SINGH

SUNIL KUMAR SINGH

17/11/1991

Permanent Account Number

DRGPS6044Q

Raj Singh

Signature

24092011

Raj Singh
04/07/2020

पह्चानकर्ता

SHRESTHA ADITYA CONSTRUCTIONS

Sunil Kumar

Partner

बिहार भूमि

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार सरकार

प्रपत्र-XIV ख
(देखें नियम-10)
लगान रसीद

ऑनलाइन
Running Unique No **18062021043723871555**
(Receipt No.)

जिला - Patna	अंचल - Patna Sadar
हल्का - Patliputra	मौजा - मैनपुरा
जमाबंदी सं0 - 10963 भाग वर्तमान - 9 पृष्ठ संख्या - 1878	मौजा/थाना सं0 - 9/2
जमाबंदी रैयत का नाम - MINA DEVI अभिभावक का नाम - KAMESHWAR SINGH	पता - RAJAPUR MAINPURA .

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
[illegible]	17/6	0 एकड़ 18.5 डिसमील 0 हेक्टर

सालाना माग(बकाया और वर्तमान) चालू वितीय वर्ष का

वितीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2021-2022 से 2021-2022
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	14.50	0.00	14.50	0.00	20.00	2021-2022 से 2021-2022
कुल	24.50	0.00	24.50	0.00	30.00	2021-2022 से 2021-2022

वसूली

वितीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
[illegible]	0.00	10.00	10.00	2021-2022 से 2021-2022	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	0.00	14.50	20.00	2021-2022 से 2021-2022	
कुल	0.00	24.50	30.00	2021-2022 से 2021-2022	

कुल बकाया-30.00
वसूल की गयी राशि शब्दों में- Thirty Rupees

तिथि- 18-06-2021

यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति है।
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका प्रयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए संबंधित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।